तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/5843/2005/सवाईमाधोपुर सरकार बनाम चतरू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.6.19	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित–** श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। **निर्णय** यह रेफरेन्स जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर के द्वारा अंतर्गत धारा 88 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 31–10–2005 से राजस्व मण्डल में प्रेषित किया गया है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत 2033–36 के अनुसार ग्राम शिवाड की आराजी खसरा नं0 43 रकबा 09 बिस्वा किस्म गै0मु0 नाला राजकीय खाता में दर्ज थी। आवंटन अधिकारी ने रकबा 09 बिस्वा भूमि अनियममित रूप से अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज अंकन कर दिया गया तथा उक्त अंकन की पालना में नामांतरकरण संख्या 264 दिनांक 01.01. 79 अप्रार्थी के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया, वर्तमान में उक्त रकबा के नये खसरा नंबर 429 रकबा 06 है0 भमि है, जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी में होने के कारण किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02–8–2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी भूमि यदि किसी की खातेदारी में दर्ज हो गई तो उक्त किस्म की भूमि को वापस राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश पारित किये है। अतः विवादग्रस्त भूमि को पुनः गैर मुमकिन नाला दर्ज कर अप्रार्थी के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/5843/2005/सवाईमाधोपुर सरकार बनाम चतरू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नाम कलमजन किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनकर राजस्व अभिलेख से विपक्षी का नाम हटाया जाकर बिला नाम सरकार गैर मुमकिन नाला राजकीय खाते में दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस रेफरेन्स प्रकरण में सुनी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी कृषि अयोग्य गैर मुमकिन नाला के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, जिस पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार देना कानून में वर्जित है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 में पारित निर्णय दिनांक 02–8–04 की पालना में इस प्रकार दर्ज की गई खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी संवत 2033–36 के अनुसार ग्राम शिवाड की आराजी खसरा नं0 43 रकबा 09 बिस्वा किस्म गै0मु0 नाला राजकीय खाता में दर्ज थी। आवंटन अधिकारी ने रकबा 09 बिस्वा भूमि अनियममित रूप से अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज अंकन कर दिया गया तथा उक्त अंकन की पालना में नामांतरकरण संख्या 264 दिनांक 01.01.79 अप्रार्थी के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया, वर्तमान में उक्त रकबा के नये खसरा नंबर 429 रकबा 06 है0 भमि है, जो नियम विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते तथा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/5843/2005/सवाईमाधोपुर सरकार बनाम चतरू	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

यह भूमि काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज होने से सार्वजनिक हित की भूमि है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार देना कानून में वर्जित है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–8–04 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना है। अतः अप्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज की गई खातेदारी विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पर अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी एवं उक्त आदेश की पालना मे दर्ज नामांतरकरण संख्या 264 को निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थी के खाते में अंकित विवादग्रस्त आराजी को बिला नाम सरकार गैर मुमकिन नाला दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे।

(रामनिवास जाट)
सदस्य